Cases from Nari Adalat

पटमदा प्रखंड के अन्तर्गत मोहनपूर गॉव के आलो मनी महतो की शादी वर्ष 1995 में बडा बाजार थाना अन्तर्गत ग्वाडी पहाडी गॉव में अजित कुमार महतो, पिता कनाई महतो के साथ शादी हुई, शादी करने के तीन महीनें बाद आलमनी महतो को छोडकर जमशेदपुर काम करने के लिए चला गया और सास द्वारा आलोमनी को बहुत सताया जाता था तो आलोमनी माईके में आ गयी। फिर कुछ दिनों बाद आलोमनी को इसके पिता द्वारा ससुराल पहूँचा दिया गया। सास द्वारा फिर से यातनाएँ दिया जाता रहा उसे खाना–पीना, कपडा–लता ठीक से नहीं दिया जाता था, अतः आलोमनी फिर से माईके आ गई। इसी तरह तीन साल बीत गए कभी उसके पति उसके माईके से आलोमनी को लेने के लिए नहीं आये।

वर्ष 1999 में पुरूलिया महिला कोट में केश किया और केश अभी भी चल रहा है और अभी पटमदा थाना अन्तर्गत भुला गॉव में आलोमनी का पति अजित महतो की दुसरी शादी तय की गई है। लडकी का नाम शान्ती महतो है। पिता माधव महतो द्वारा केश अभी वर्त्तमान में नारी अदालत को दिया गया है। नारी अदालत में इस केश को लेकर थाना गये और वर्त्तमान में शादी रोक दी गई है।